E-mail/
Website

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

सं0सं0–प्र0–1 रा0(वि0) 03/18–......2963....../एम0, पटना, दिनांक–...17/7/18...

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी उपनिदेशक,
सभी सहायक निदेशक,
सभी खनिज विकास पदाधिकारी,
सभी खान निरीक्षक।

विषयः– प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं संवेदनशील बनाने के संबंध में।

महाशय,

सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को त्वरित एवं प्रभावी ढंग से लागू करने, इनके सतत् अनुश्रवण एवं राज्य में न्याय के साथ विकास एवं प्रशासन को और अधिक संवेदनशील बनाने के उद्देश्य संबंधी मुख्य सचिव, बिहार, पटना का पत्र सं0–323, दिनांक 21.06.2018 की छायाप्रति संलग्न कर अनुपालनार्थ भेजी जा रही है।

कृपया पत्र के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

17/7

विश्वासभाजन

सरकार के अवर सचिव

D/MANOJ/BIRENDRA JI/DRAFT

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

संसं0–प्र0–1 रा0(वि0) 03/18–......................../एम0, पटना, दिनांक–....................

E-mail/
Website

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी उपनिदेशक,
सभी सहायक निदेशक,
सभी खनिज विकास पदाधिकारी,
सभी खान निरीक्षक।

विषयः– प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं संवेदनशील बनाने के संबंध में।

महाशय,

सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को त्वरित एवं प्रभावी ढंग से लागू करने, इनके सतत् अनुश्रवण एवं राज्य में न्याय के साथ विकास एवं प्रशासन को और अधिक संवेदनशील बनाने के उद्देश्य संबंधी मुख्य सचिव, बिहार, पटना का पत्र सं0–323, दिनांक 21.06.2018 की छायाप्रति संलग्न कर अनुपालनार्थ भेजी जा रही है।

कृपया पत्र के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–......2963....../एम0, पटना, दिनांक–...17/7/18.......

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव के आप्त सचिव/निदेशक कोषांग/अपर सचिव कोषांग/विभाग के सभी पदाधिकारी को पत्र की छायाप्रति के साथ अनुपालनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

दीपक कुमार, भा०प्र०से०
मुख्य सचिव
Deepak Kumar, I.A.S.
Chief Secretary

बिहार सरकार
मुख्य सचिवालय, पटना - 800 015
GOVERNMENT OF BIHAR
Main Secretariat, Patna - 800 015
Tel.: 0612-2215804, Fax : 0612-2217085
E-mail : cs-bihar@nic.in

पत्रांक- 3/CS/M-27/2018-323   दिनांक 21.06.2018

सेवा में,

सभी विभागों के प्रधान सचिव/ सचिव
पुलिस महानिदेशक, बिहार
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी पुलिस महानिरीक्षक
सभी पुलिस उप महानिरीक्षक
सभी जिला पदाधिकारी
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक
सभी पुलिस अधीक्षक,
बिहार ।

विषय:- **प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं संवेदनशील बनाने के संबंध में ।**

महाशय,

सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को त्वरित एव प्रभावी ढंग से लागू करने, इनके सतत् अनुश्रवण एवं राज्य में न्याय के साथ विकास एवं प्रशासन को और अधिक संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से निम्नानुसार कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है:-

1. (i) राज्य मुख्यालय स्तर पर प्रत्येक सोमवार, मंगलवार एवं शुक्रवार को यथासंभव पदाधिकारीगण मुख्यालय में उपस्थित रहकर कार्य करेंगे ।

(ii) शुक्रवार को पदाधिकारियों के द्वारा आम लोगों से मिलने का समय रखा जायेगा तथा इसे प्रचारित भी किया जाये ।

(iii) मुख्यालय स्तर पर बैठकें/वीडियो कान्फ्रेन्सिंग यथासंभव उपरोक्त तीन दिवसों में ही रखी जायेंगी ।

(iv) सप्ताह के शेष दिनों में प्रधान सचिव/ सचिव क्षेत्र भ्रमण पर रहेंगे एवं अपने विभागीय कार्यों का निरीक्षण एवं समीक्षा करेंगे ।

2. पूर्व से ही राज्य में विभागीय प्रधान सचिवों / सचिवों को जिलों के प्रभारी प्रधान सचिव/ सचिव का दायित्व सौंपा गया है । पूर्व में दिये गये निदेशों के आलोक में

अपर सचिव सभी को निदेशित किया जाये।
AA 21/6
S.O. तुरंत put up
खान एवं भूतत्व विभाग प्रधान सचिव कोषांग पत्र डायरी सं०- 3091 दिनांक 11/7/18
6331 13.7.18
1640/AS 11-7-18

इनके द्वारा अपने आवंटित जिलों का भ्रमण माह में कम-से-कम एक बार अवश्य किया जाना है ।

3. क्षेत्रीय प्रमण्डल स्तर / जिला स्तर / अनुमंडल स्तर एवं प्रखंड/अंचल/थाना स्तर के पदाधिकारी भी उपरोक्त कंडिका-1 के संगत प्रावधानों के अनुसार ही कार्रवाई करेंगे ।

4. उपरोक्त कंडिका-1 एवं 3 के अनुसार कार्रवाई करने पर निम्न परिणामों की अपेक्षाएं हैं:-

(क) शुक्रवार को मुख्यालय से लेकर प्रखंड/अंचल/थाना स्तर तक के सभी पदाधिकारीगण आम लोगों से साक्षात्कार हेतु कार्यालय में उपस्थित रहेंगे ।

(ख) सोमवार, मंगलवार एवं शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह के शेष दिन सभी पदाधिकारीगण यथासंभव क्षेत्र भ्रमण पर रहेंगे ।

5. सभी नियंत्री पदाधिकारी इस अवधि में यह सुनिश्चित करेंगे कि अधीनस्थ पदाधिकारीगण उपरोक्त निदेशों का अक्षरश: पालन कर रहे हैं । अधीनस्थ पदाधिकारियों के टूर डायरी की भी इस अवधि में सघन मोनिटरिंग की जायेगी ।

6. उपर्युक्त व्यवस्था को उच्चतर स्तर के निदेशों एवं किसी विधि व्यवस्था की प्रतिकूल स्थिति होने पर आवश्यकतानुसार संशोधित किया जा सकेगा ।

7. क्षेत्रीय प्रमंडल/जिला/अनुमंडल स्तर के मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारीगण कार्यालय अवधि में अपने विहित कार्यालय प्रकोष्ठ में रहकर ही कार्य करेंगे । कार्य अवधि में आवासीय कार्यालय से कार्य निष्पादन वर्जित रहेगा ।

8. जिला पदाधिकारी / वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के स्तर पर विभिन्न स्टेक होल्डर्स (Stake Holders) के साथ नियमित बैठकें की जायेगी । कुछ महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स उदाहरणार्थ निम्न प्रकार हो सकते हैं:-

(क) उच्च विद्यालयों/ महाविद्यालयों के प्राचार्य

(ख) छात्र/ छात्राओं के प्रतिनिधि

(ग) खिलाड़ियों और सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े हुए लोग

(घ) नगर वार्ड आयुक्त/ पंचायती राज के प्रतिनिधि

(ड) विकास मित्र

(च) चैम्बर ऑफ कामर्स के पदाधिकारीगण

(छ) किसानों के समूह

(ज) चिकित्सकों के समूह आदि

9. प्रधान सचिव / सचिव / प्रमंडलीय आयुक्त / जिला पदाधिकारी / वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान संबंधित क्षेत्र के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के टोलों का भ्रमण अवश्य करेंगे ताकि उनके मध्य विकास कार्यों का प्रभावी निरीक्षण सुनिश्चित किया जा सके ।

10. अनुरोध है कि पत्र में उल्लेखित निदेशों के अनुसार शीघ्र अनुपालन प्रारंभ कर दी जाये तथा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को भी उपर्युक्त निदेशों की जानकारी देते हुए अनुपालन सुनिश्चित की जाये ।

विश्वासभाजन

Dut 21/6/18

(दीपक कुमार)